

प्ररूप सं. 62

[नियम 9ग देखिए]

उत्पादन के विहित स्तर को प्राप्त करने और पश्चात्पूर्ती वर्षों में उत्पादन के उस स्तर को बनाए रखने के बारे में समामेलित कंपनी के प्रधान अधिकारी से और लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित प्रमाणपत्र

1. समामेलित कंपनी की विशिष्टियां :

(क) नाम

(ख) पता

(ग) स्थायी लेखा संख्यांक

(घ) कारबार की प्रकृति और ब्यौरा

2. समामेलित कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग प्रपत्र संलग्न करें,

(क) नाम

(ख) पता

(ग) स्थायी लेखा संख्यांक

(घ) कारबार की प्रकृति और ब्यौरा

(ङ) समामेलन की तारीख को उत्पादन की संस्थापित क्षमता

3. समामेलन की तारीख

4. वह तारीख और अवधि जिसके दौरान उत्पादन की संस्थापित क्षमता का पचास प्रतिशत प्राप्त किया जाता है

5. क्या उत्पादन के विहित स्तर को पश्चात्पूर्ती वर्षों में बनाए रखा गया है : (समामेलन की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति तक)

(समामेलित कंपनी के प्रधान अधिकारी के हस्ताक्षर और नाम)

स्थान

तारीख

सत्यापन

मैंने/हमने ऊपर मद 1 और 2 में निर्दिष्ट कंपनी/कंपनियों के उत्पादन की विशिष्टियों को

नाम

दर्शाने वाली सुसंगत अवधि की लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों की जांच की है।

2. मैंने/हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त किए हैं जो मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार उत्पादन के विहित स्तर को वस्तुतः प्राप्त करने/बनाए रखने को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं।

3. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और ठीक हैं।

(लेखापालों के हस्ताक्षर और नाम)

स्थान

तारीख

टिप्पण :

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

† "लेखापाल", से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल अभिप्रेत है।

यदि आवश्यक हो तो कृपया अलग शीट संलग्न करें।